बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 (BLR Scheme)

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व प्रचलित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना कार्यक्रम, 1978 को अंतिम बार वर्ष 2000 में संशोधित करने के पश्चात् वर्त्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता एवं इसकी प्रभाविकता का मूल्यांकन कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पूर्व की योजना में व्यापक संशोधन किया गया एवं बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 के नाम से नयी योजना को दिनांक 17.05.2016 के प्रभाव से लागू किया गया। नयी पुनर्वास योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दिये जाने वाले **Cash component (वित्तीय घटक)** में राज्यांश की राशि दिये जाने के प्रावधान को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है जबकि **Non cash component (गैर वित्तीय घटक)** को पूर्णतः रखे जाने का प्रावधान रखा गया है।

उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक F.No.S-11012/01/2015 बी0एल0 दिनांक 18.05.2016

योजना की विशेषता

केन्द्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 दिनांक 17.05.2016 की तिथि से प्रभावी है एवं नई योजना के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास मद में राज्य सरकार द्वारा कोई Matching Grant नही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी की कुप्रथा से विमुक्त श्रमिकों को तीन श्रेणीयों में विभक्त करते हुए इनके आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान किया गया है:—

I. **वयस्क बंधुआ श्रमिकः**— वयस्क विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास हेतु 1,00,000/— (एक लाख रूपये) की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी के पास इस सहाय्य राशि को Annuity Scheme में जमा कराने अथवा नकद प्राप्त करने दोनों विकल्प होगा, तथापि संबंधित जिला प्रशासन लाभार्थी के नकद जरूरतों का आंकलन कर उसकी सहमति से इस राशि को Annuity Scheme में जमा कर सकेगा।

II. **दूसरे श्रेणी** में विशेष प्रकार से परिभाषित करते हुए वैसे बच्चों/अनाथों अथवा वैसे बच्चों को, जिन्हे संगठित अथवा जबरन भिक्षावृति कराने वाले कुचक्र से विमुक्त कराने गये हो या महिलाओं को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के बंधुआ श्रमिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 2,00,000/—(दो लाख रूपये) की होगी, जिसमें 1,25,000/—(एक लाख पच्चीस हजार रूपये) की राशि बंधुआ श्रमिकों के नाम Annuity Scheme में जमा कर दिया जाएगा तथा एवं शेष राशि को विमुक्त श्रमिक के बैंक खाते में (इलेक्ट्रानिक क्लियरेंश प्रणाली) द्वारा जमा करा दिया जाएगा।

III. **तीसरी श्रेणी** में वैसे श्रमिकों को शामिल किया जाएगा, जो गंभीर प्रकृति के कार्यो से विमुक्त कराये गये हैं। इस श्रेणी में Trans Genders, महिलाओं या बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें वेश्यालयों, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट ऐजेंसी से देह व्यापार अथवा वैसी स्थितियाँ, जो जिला पदाधिकारी द्वारा इसके निमित्त उपर्युक्त समझे, से विमुक्त कराया गया है।

इस श्रेणी के श्रमिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 3,00,000/— (तीन लाख) रूपये होगी, जिसमें दो लाख की राशि Annuity Scheme में जमा करा दी जाएगी तथा शेष 1,00,000/—(एक लाख रूपये) की राशि विमुक्त श्रमिक के बैंक खाते में E.C.S द्वारा जमा करा दिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले Non-Cash Compennts पूर्ववत दिए जाते रहेगें, जो निम्न प्रकार होंगे:–

1. गृह निर्माण एवं खेती के लिए भूखंडो का आवंटन।
2. भूमि विकास।
3. Low Cost dwelling unit का प्राधधान।
4. पशुधन, डेयरी, पॉलट्री एवं सुअर पालन।
5. मजदूरी के साथ रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्त्तन आदि
6. सुक्ष्म वानिकी उत्पादों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण।
7. जरूरी वस्तुओं का लक्षित जन बितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति।
8. बच्चों की शिक्षा।

IV. यदि Summary Trail के पश्चात् जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुमंडल अधिकारी इस निर्णय पर पहुँचता है कि संबंधित श्रमिक बंधुआ श्रमिक की परिधि में नही आता है, परंतु उसे सामाजिक–आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है तो राज्य सरकार द्वारा संचारित/प्रशानित किसी अन्य योजना से उसे लाभान्वित किए जाने की अनुशंसा कर सकता हो।

V. यदि जिला दण्डाधिकारी/अनुमंडल अधिकारी द्वारा ऐसा पाया जाता है कि विमुक्त व्यक्ति को तुरंत सहायता की आवश्यकता है जो मामलों की सुनवाई के लंबित रहने की अवधि में उस व्यक्ति अथवा कोई साक्ष्य को सरकार के किसी कानून/योजनाओं में अन्तर्गत भोजन/आवास/विधिक सहायता दिया जा सकता है, परंतु इस योजना के प्रावाधनों के अन्तर्गत नहीं।

राज्य सरकार की भूमिका/ दायित्व

1. जिला प्रशासन अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से विमुक्त बच्चों/श्रमिकों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करेगा ताकि उसका क्षमता का विकास किया जाए। तद्नुसार प्रत्येक बच्चों के बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए उचित शिक्षा, मनोसामाजिक परिवर्धन, अल्पावास गृह की व्यवस्था की जाएगी। Skill Development पुनर्वास कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
2. विमुक्त कराई गई महिला बंधुआ श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा उनके क्षमता विकास कराने के अतिरिक्त उसके विवाह के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
3. निःशक्त/दिव्यांगों के लिए भी उनके क्षमता का विकास करने के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उसें राष्ट्रीय निःशक्त्ता नीति के अन्तर्गत लाभ दिया जाएगा।
4. वयस्क बंधुआ श्रमिक जो उपर्युक्त किसी श्रेणी में नही आते है उन्हे Skill Developement प्रशिक्षण कराया जाएगा एवं यह उनके पुर्नवास का अभिन्न हिस्सा होगा।

ये सभी लाभ Cash Camponents and Non Cash Component के अतिरिक्त देय होगा।

जिला स्तरीय बंधुआ मजदूर पुर्नवास कोषः–

प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी द्वारा संचालित एक जिला स्तरीय बंधुआ मजदूर पुर्नवास कोष का गठन किया जाएगा जो स्थायी प्रकृति का होगा एवं नवीकृत होगा। इस कोष में 10,00,000/– (दस लाख रूपये) की राशि स्थायी तौर पर रखी जाएगी एवं इसका उपयोग बंधुआ श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह सहायता कम से कम 20,000/–(बीस हजार रूपये) की होगी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर इसे बढ़ाई जा सकेगी तथा किसी भी स्थिति में यह राशि इस योजना के लिए निर्धारित राशि से अधिक न होगी तथा दी गयी अग्रिम राशि वास्तविक क्षमता से काट ली जाएगी।